रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2016/श्रावण 25, 1938
No. 568] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2016/SRAVANA 25, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2016

सा.का.नि.797 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 51, उप धारा(2) के खंड (ठ), (ड), (ढ) और (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है,अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप, बजट और वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

2. **परिभाषा**- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) "वार्षिक प्रतिवेदन" से अधिनियम की धारा 36 की उप धारा(2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन अभिप्रेत है;

(ग) "लेखा परीक्षा अधिकारी" सेप्रधान लेखा परीक्षा कार्यालय अभिप्रेत है;

(घ) "बजट" से प्राप्ति और खर्च का वित्तीय विवरण अभिप्रेत है;

(ङ) "वित्तीय वर्ष" से तत्काल आने वाले वर्ष के पहली अप्रैल से शुरू होकर अगले 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(च) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबंध प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) इसमें प्रयोग किए गए शब्दों और वाक्यों जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु अधिनियम में उनकी परिभाषा दी गई है, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

3. खातों का वार्षिक विवरण और अन्य सुसंगत अभिलेख– प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, प्राधिकरण उस वर्ष से संबंधित तुलन- पत्र, आय और व्यय का खातों का ब्यौराइस प्रकार तैयार करेगा:

(क) प्ररूप I में तुलन पत्र

(ख) प्ररूप II में आय और व्यय का खाता

(ग) प्ररूप III में प्राप्ति और अदायगी का खाता

4. लेखा आदि का अनुरक्षण:- प्राधिकरण नियम 3 में निर्दिष्ट तुलन पत्र, आय और व्यय का खाता और प्राप्ति और अदायगी का खाता, प्ररूप(क) में, अनुदेश और लेखा सिद्धांत प्ररूप (ख) में और अनुसूची की टिप्पणियां और अनुदेश प्ररूप (ग) में, यह जिस वर्ष का है उस से कम से कम 5 वर्ष तक रखेगा।

5. तुलन पत्र के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता–उपर्युक्त नियम 3 में निर्दिष्टि तुलन पत्र और आय और व्यय का खाता और प्राप्ति और अदायगी का खाता, प्राधिकरण के लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा और इस पर प्राधिकरण के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

6. बजट- (1) प्रत्येक वर्ष फरवरीके पहले पखवाडे से पहले प्राधिकरण प्ररूप IV में बजट तैयार करेगा जिसमें अगले वित्त वर्ष के दौरान होने वाली संभावित प्राप्तियों और प्रस्तावित व्यय को दर्शाएगा।

(2) प्राधिकरण प्ररूप V में वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट तैयार करेगा जिसमें संशोधित प्राक्कलनोंका ब्यौरा देते हुए उस अपरिहार्य व्यय के कारण देगा जो वर्ष के दौरान उपगत किया जाना जरूरी है और जिसके लिए स्वीकृत बजट में कोई भी उपबंध नहीं किया गया।

7. वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और प्रस्तुत करना – (1) प्राधिकरण प्ररूप VI की अनुसूची 26 में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक सौ अस्सी दिन के भीतर एक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा देगा।

केन्द्रीय सरकार, इस संबंध में प्राधिकरण के अनुरोध पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं पर, एक सौ अस्सी दिन की अवधि को बढाकर दो सौ दिन कर सकती है।

(2) प्राधिकरण उप-नियम 1 अधीन तैयार किए गए वार्षिक प्रतिवेदन को यथाशीघ्र किंतु इसके तैयार होने के 10 सप्ताह से अनधिक अवधि में केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

(3) प्राधिकरण अपनी स्थापना के पहले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन और उसकेबाद के वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

8. प्राधिकरण द्वारा खातों का वार्षिक विवरण, जिस वर्ष का है उससे अगले वर्ष के 30 जून से पहले लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

[फा. सं. एवी.24032/12/2010-एडी]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

फॉर्म

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

के

वित्तीय विवरण,

बजट

और

वार्षिक प्रतिवेदन

के प्ररूप

प्ररूप	प्ररूप	पृष्ठ
तुलन पत्र	I	05-06
आय एंव व्यय लेखा	II	07-08
उपरोक्त वित्तीय विवरण की अनुसूचियां	III	09-25
अनुदेश एंव लेखा सिद्धान्त	I (क)	26-29
अनुसूची के लिए टिप्पण और अनुदेश	I(ख)	30-74
आय एंव संदाय का ब्यौरा	I (ग)	75-77
बजट	IV	78
अनुपूरक बजट	V	79
वार्षिक रिपोर्ट	VI	80

(461)

प्ररूप-I

तुलन पत्र

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय ब्यौरे का प्ररूप

तुलन पत्र ....को

(राशि- रूपए)

कॉर्प्स /पूंजी निधि और देनदारियां	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
कॉर्प्स/ पूंजी निधि	1		
आरक्षित और अधिशेष	2		
निर्धारित/अक्षय निधि	3		
सुरक्षित ऋण और उधार	4		
असुरक्षित ऋण और उधार	5		
आस्थगित ऋण देनदारियां	6		
मौजूदा देनदारियां और उपबंध	7		
कुल			
आस्तियां			
अचल आस्तियां	8		
निर्धारित अक्षय निधि से निवेश	9		
निवेश – अन्य	10		
मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि विविध व्यय	11		
(बट्टे खातों में डाले जाने या समायोजित किए जाने तक)			
कुल			
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और खातों पर टिप्पण	25		

प्ररूप -II

आय एवं व्यय लेखा

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय ब्यौरे का प्ररूप
तुलन पत्र ....को

(राशि- रूपए)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विक्रय/सेवाओं से आय अनुदान/सहायिकी फीस/सदस्यता शुल्क निवेश आय(निर्धारित/अक्षय निधि में निवेश से निधि को हस्तांतरित) रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय अर्जित ब्याज अन्य आय तैयार माल और तैयार किया जा रहा माल के स्टाक में वृद्धि/ (कमी)	12 13 14 15 16 17 18 19		
कुल (क)			
व्यय स्थापना व्यय अन्य प्रशासनिक व्यय आदि अनुदान,सहायिकी आदि पर व्यय ब्याज अवक्षयण(वर्ष के अंत में कुलनियत– अनुसूची 8के तटस्थानी)	20 21 22 23		
कुल (ख)			
व्यय से अधिक आय का अतिशेष (क-ख) विशेषआरक्षित में स्थानांतरण (प्रत्येक विनिर्दिष्ट करें) साधारण आरक्षित से/को स्थानांतरण			
अधिशेष बैलेस/(घाटा) कॉर्प्स/ पूंजी निधि में ले जाया गया।	24		
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां आकस्मिक देयताओं और खातों पर टिप्पणियां	25		

प्ररूप-III

अनुसूचियां

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय ब्यौरे का प्ररूप
..............................तुलन पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची1- कार्प्स/ पूंजी निधि	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
वर्ष के आंरभ में शेष जोड़ें : कार्प्स/पूंजी निधि के लिए अंशदान जोड़ें घटाएं : निवल आय/खर्च का शेष आय और खर्च लेखा से स्थानांतरण		
वर्ष के अंत में अतिशेष		
अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1.पूंजी आरक्षित पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती **2.पुन मूल्यांकन आरक्षित** पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती **3.विशेष आरक्षित** पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती **4.साधारण आरक्षित** पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
कुल		

455

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय ब्यौरे का प्ररूप

.................................तुलन पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 3- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	निधि – वारब्यौरा				कुल	
	निधि (क)	निधि (ख)	निधि (ग)	निधि (घ)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) निधियों का आरंभिक शेष						
(ख) निधियों में जमा राशि						
(i) दान/अनुदान						
(ii) निधि पर निवेश से आय						
(iii)अन्य जोड़े गए (विनिर्दिष्ट करें)						
कुल (क+ख)						
(ग)निधियों का उपयोग/ उद्देश्यों के लिए खर्च						
(i) पूंजी खर्च						
-स्थायी आस्तियां						
- अन्य						
कुल						
(ii) राजस्व व्यय						
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि						
किराया						
अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल						
कुल (ग)						
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष(क+ख-ग)						

टिप्पण-

अनुदान से संलग्न शर्तों के आधार पर सुसंगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण ब्यौरा।

केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त की योजना राशि को अलग निधि के रूप में दिखाया जाएगा और किसी भी अन्य निधि के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

(454)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय ब्यौरे का प्ररूप

................................तुलन पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 4- सुरक्षित ऋण और उधार	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1.केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) आवधिक ऋण		
ख) इस पर ब्याज और देय राशि		
4. बैंक:		
(क) आवधिक ऋण इस पर ब्याज और देय राशि		
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) इस पर ब्याज और देय राशि		
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		
6.डिबेंचर और बांड्स		
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय ब्यौरे का प्ररूप

..............................तुलन पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करे)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक:		
(क) आवधिक ऋण		
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करे		
5.अन्य संस्थान और एंजेसियां		
6.डिबेंचर और बांड		
7.फिक्स्ड डिपॉजिट		
8.अन्य (विनिर्दिष्ट करे)		
कुल		
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची 6 – अस्थागित ऋण और देनदारियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) पूंजी उपस्करों और परिसंपत्त्यिा दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		
(ख) अन्य		
कुल		
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय ब्यौरे का प्ररूप
.... तुलनपत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 7- मौजूदा देनदारियां और उपबंध	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) मौजूदा देनदारियां		
1. स्वीकृतियां		
2. विविध लेनदार		
(क) माल के लिए		
(ख) अन्य		
3. प्राप्त अग्रिम		
4.उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं		
(क) सुरक्षित ऋण/उधार		
(ख) असुरक्षित ऋण/उधार		
5. वैधानिक देनदारियां		
क)अति देय		
ख) अन्य		
6. अन्य मौजूदा देनदारियां		
कुल (क)		
(ख) उपबंध		
1.कराधान के लिए		
2.उपदान		
3.सेवानिवृत्ति/पेंशन		
4.संचित छुट्टी नकदीकरण		
5.व्यापार वांरटी/दावें		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल (ख)		
कुल (क+ख)		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय ब्यौरे का फार्म

.... को बैंलस शीट के भाग की अनुसूची

(राशि- रूपए)

विवरण	सकल ब्लाक a				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	वर्ष की शुरूआत मेंलागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष केअंत में लागत मूल्यांकन	वर्ष की शुरूआत में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	मौजूदा वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
अनूसूची -8 अचल आस्तियां विवरण										
क. अचल आस्तियां										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज होल्ड										
2. भवन										
क) फ्री होल्ड										
ख) लीज होल्ड										
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट /पीमिसिस										
घ) भूमि पर सुपर स्ट्रक्चर एनटिटि से संबंद्ध नहीं										
3. प्लांट और मशीनरी और उपस्कर										
4. वाहन										
5. फर्नीचर और फिक्सचर										
6. कार्यालय के उपस्कर										
7. कैंम्प्यूटर/बाह्य उपस्कर										
8. इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन										
9. पुस्तकालय की पुस्तकें										
10. टयूबवैल और पानी की सप्लाई										
11. अन्य अचल आस्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख पूंजी कार्य प्रगति पर										
योग										
भाड़ाक्रय आधार आस्तियों की लागत को उपर्युक्त में शामिल किया गया है यह टिप्पण में दें।										

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय ब्यौरे का फार्म
.... को बैंलस शीट के भाग की अनुसूची

(राशि- रूपए)

अनूसूची 9	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर और बांड्स		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
कुल		
अनुसूची 10	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
अन्य निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर और बांड्स		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
कुल		

(४५९)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय ब्यौरे का प्ररूप
तुलन पत्र ....को

(राशि- रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11- मौजूदा आस्तियां,ऋण और अग्रिम आदि		
(क) मौजूदा आस्तियां		
1.तालिकाएं:		
(क) स्टोर और फालतु पुर्जे		
(ख) लूज टूल्स		
(ग) व्यापार में स्टाक		
निर्मित माल		
बनाया जा रहा माल		
कच्चा माल		
2.विविध देनदार		
(क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
(ख) अन्य		
3.नकद शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ड सहित)		
4. बैंक में जमा राशि:		
(क) अनुसूचित बैंकों के पास		
चालू खाते में		
जमा खाते में (मार्जिन मनी शामिल)		
(ख) गैर अनूसूचित बैकों में		
चालू खाते में		
जमा खाते में		
बचत खाते में		
5. डाकघर बचत – खातें		
कुल (क)		
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की वित्तीय विवरण का फॉर्म अनुसूची II- मौजूदा आस्तियां, ऋण और अग्रिम आदि		
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
1- ऋण :		
क) कर्मचारी		
ख) उस सत्ता के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य सत्ताएं		
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
2. नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां :		
क) पूंजी खातों पर		
ख) अग्रिम भुगतान		
ग) अन्य		
3.अर्जित आय:		
क) निर्धारित/धर्मादा निधि से निवेश पर		
ख) निवेश पर –अन्य		
ग) ऋण और अग्रिम		
घ) अन्य		
(प्राप्त न हुई देय आय सहित, रूपए ....)		
4. प्राप्य दावा:		
कुल (ख)		
कुल (क+ख)		

(४४८)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की वित्तीय विवरण का प्ररूप
..........अवधि/समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग की अनुसूची

(राशि- रूपए)

अनुसूची 12-	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 12- बिक्री/सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख)कच्चे माल की बिक्री		
ग)स्क्रैप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम एंव प्रसंस्करण		
ख) व्यावसायिक/परामर्शदात्री सेवाएं		
ग) एजेन्सी कमीशन और दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		
ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 13- अनुदान/सहायिकी (अप्रतिसंहरणीय,अनुदान और प्राप्त सहायिकी)		
1) केन्द्रीय सरकार		
2) राज्य सरकार (रों)		
3) सरकारी ऐजेंसियां		
4) संस्था/कल्याणकारी निकाय		
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की वित्तीय विवरण का फार्म	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची14- फीस/सदस्यता से आय		
1) प्रवेश शुल्क		
2) वार्षिक फीस/ सदस्यता शुल्क		
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम फीस		
4) परामर्शदात्री फीस		
5)अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल नोट– प्रत्येक मद के संबंध में लेखाकंन नीतियों को स्पष्ट किया जाए।		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की वित्तीय विवरण का प्ररूप
.........अवधि/समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग की अनुसूची

(राशि- रूपए)

	निर्धारित निधि से निवेश		निवेष – अन्य	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 15- निवेश से आय निर्धारित/बंदोबस्ती/निधि से निवेश पर आय का निधि में अन्तरण 1.ब्याज क) सरकारी प्रतिभूतियों पर ख) अन्य ब्रांडस/डिबेंचर 2.लाभाशं क) शेयर पर ख) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी पर 3. किराया 4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
कुल				
निर्धारित/बंदोबस्ती धन को हंस्तारित				

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 16 – रायल्टी,प्रकाशन आदि से आय		
1) रायल्टी से आय		
2)प्रकाशनों से आय		
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 17-अर्जित ब्याज		
1- सावधि जमा राशियों पर	-	
क) अनुसूचित बैकों के पास	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैकों के पास	-	-
ग) संस्थाओं के पास	-	-
घ) अन्य	-	
2. बचत खातों पर	-	
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) डाकघर बचत खाते	-	-
घ) अन्य		-
3. ऋणों पर		-
क) कर्मचारी /स्टाफ		
ख) अन्य		
4. देनदार और प्राप्य राशियों पर ब्याज		
कुल		
नोटः- टीडीएस को दर्शाया जाए।		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की वित्तीय विवरण का प्ररूप
--------- अवधि/समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग की अनुसूची

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 18 – अन्य आय		
1. संपत्ति की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) स्वामित्व वाली संपत्तियां		
ख) अनुदान से अधिग्रहण, या निशुल्क प्राप्त संपत्ति		
2.निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्तियां		
3.विविध सेवाओं के लिए फीस		
4.विविध आय		
कुल		

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 19 – स्टाक में तैयार माल और तैयार किए जा रहे माल में वृद्धि/कमी		
क) क्लोजिंग स्टॉक		
-निर्मित माल		
-तैयार किया जा रहा माल		
ख) घटाएं – आरंभिक स्टॉक		
-निर्मित माल		
-तैयार किया जा रहा माल		
निवल वृद्धि/(कमी) (क –ख)		

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 20 – स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरी		
ख) भत्तें और बोनस		
ग) भविष्य निधि में अंशदान		
घ) अन्य कोष में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)		
ड.) कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर खर्च		
छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की वित्तीय विवरण का प्ररूप
--------- अवधि/समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग की अनुसूची

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि क.खरीद ख.श्रम और प्रसंस्करण खर्च ग.छुलाई और माल भाड़ा घ.बिजली और ऊर्जा ङ.जल प्रभार च.बीमा छ.मरम्मत और अनुरक्षण ज.उत्पाद शुल्क झ.किराया, दर और कर ञ.वाहन, मरम्मत और अनुरक्षण ट.डाक, टेलिफोन और संचार प्रभार ठ.मुद्रण तथा लेखन सामग्री ड.यात्रा और वाहन खर्च ढ.संगोष्ठी और कार्यशाला पर खर्च ण..सदस्यता खर्च त.फीस पर खर्च थ.लेखा परीक्षकों का पारिश्रामिक द.अतिथ्य प्रभार ध.व्यवसायिक प्रभार न.बैंड और संदिग्ध ऋण/अग्रिमों के लिए उपबंध प- अप्रतिलभ्य शेष बट्टे खाते में डाले गए फ.पैकिंग प्रभार ब.माल भाड़ा और अग्रेषण खर्च य. वितरण खर्च म.विज्ञापन और प्रचार प.अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		

	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण का प्ररूप--------अवधि/समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग की अनुसूची **अनुसूची 22- अनुदान/सहायिकीआदिपर व्यय** क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकी		
कुल		
टिप्पण– संस्थानोंके नाम दिए जाए, उनकी गतिविधियां तथा उनको अनुदानों/सहायिकी की राशि दर्शायी जाए।		

अनुसूची 23	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 23 – ब्याज क) सावधि ऋणों पर ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की वित्तीय विवरण का प्ररूप

---------- अवधि/समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग की अनुसूची

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां (उदाहरण)

1.लेखा रूपातरंण

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक अन्यथा लेखाकंन के प्रोभ्दवन पद्धति पर कहा गया हो।

2.वस्तु सूची मूल्याकंन

2.1 स्टोर और स्पेर्यस (मशीनों के फालतू पुर्जों सहित) का मूल्याकंन लागत पर है।

2.2 कच्ची सामग्री,अर्द्ध निर्मित माल,निर्मित माल, न्यूनतम लागत और प्रापण मूल्य द्वारा मूल्याकित किया जाता है लागत भारित औसत लागत के आधार पर है। निर्मित माल और अर्द्धनिर्मित माल की लागत का निर्धारण सामग्री, मजूदरी संबंद्ध खर्चों के अनुसार अवधारित किया गया है।

3.निवेश

3.1 "दीर्घावधिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर है। इनमें कमी जो अस्थाई नहीं है को ऐसे निवेश की लागत के अनुसार तैयार किया गया है।

3.2 'करंट' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत से कम और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य पर कमी के लिएउपबंध अलग-अलग रूप में किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली अंतरण स्टांप जैसे अधिग्रहण के खर्च शामिल है।

4.उत्पाद शुल्क

संगठन द्वारा निर्यात के लिए सामान को छोड़कर विनिर्मित माल के संबंध में उत्पाद शुल्क की देयता तैयार माल पर की जाती है और वर्ष के अंत में उत्पाद शुल्क वाले विनिर्मित माल के लिए उपबंध किया जाता है।

5.अचल संपत्ति

5.1 अचल संपत्तियां अधिग्रहण की लागत पर दर्शाई जाती है जिसमें लाने का भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिकऔर प्रत्येक प्रचालन पूर्वखर्च शामिल है। निर्माण वाली परियोजना के संबंध में परिचालन के पूर्व के खर्च (जिसमें इसके पूरा होने से पहले विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए ऋणों पर ब्याज सहित राशि शामिल है) और यह पूंजीकृत परिसंपत्ति के मूलय का भाग होता है।

5.2 गैर - मौद्रिक अनुदान के रूप में प्राप्त अंचल संपत्ति के संबंध में (कॉप्स निधि को छोड़कर) पूंजी आरक्षित के तत्स्थानी नकद द्वारा कथित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

6. मूल्यह्रास

6.1विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के कारण हुए लागत समायोजन पर मूल्यह्रास, अंचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए देयताएं जोकि संबंधित परिसंपत्तियों की शेष अवधि के लिए होती है को छोड़कर आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट लाईन पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास की व्यवस्था की जाती है।

6.2वर्ष के दौरान अचल संपतियों में परिवर्धन/को कम करने के संबंध में यथा अनुपात के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है।

6.3 5,000/- रूपए या इससे कम की लागत की संपत्तिकापूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

7. विविध व्यय

आस्थागित राजस्व व्यय को इसके खर्च के वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खातें में डाला जाता है।

8. बिक्री के लिए लेखाकंन

उत्पाद शुल्क सहित बिक्री, बिक्रीकी वापसी, छूट और व्यापार छूट को छोड़कर है।

(५५३)

9. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

9.1परियोजना की स्थापना की पूंजी लागत के लिए योगदान के रूप में सरकारी अनुदान पूंजी आरक्षित के रूप में माना जाता है।

9.2अधिग्रहित की गईविनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के संबंध में अनुदान संबंधित संपत्तियों की लागतसे कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।

9.3 सरकारी अनुदान/सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर लेखांकित की जाती है।

10.विदेशी मुद्रा लेनदन

10.1विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन की तारीख पर प्रचलित दर पर किए जाते हैं।

10.2वर्तमान संपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और मौजूदा देनदारियों की मुद्रा के रूप में वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर परिवर्तित करते हैं और परिणामीलाभ/हानि को अचल संपत्तिकी लागत के लिए समायोजित किया जाता है। अगर विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्ति से संबंधित है और अन्य मामलों में राजस्व करने के लिए माना जाता है।

11.पट्टा (लीज)

लीज की शर्तों के अनुसार लीज का किराया दिया जाता है।

12.सेवा निवृत्त लाभ

12.1 कर्मचारियोंकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेजुटी की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती है।

12.2 कर्मचारी को छुट्टी नगदीकरण के लाभ की व्यवस्था की जाती है और इसका हिसाब प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के आधार पर लगाया जाता है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां (उदाहरण)

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 देयता के रूप में अभिस्वीकृतियां न की गई सत्ता के लिए दावें — रूपए ------ (पिछले वर्ष------- रूपए)

1.2 इनके संबंध में:

-सत्ताकी ओर से दी गई बैंक गांरटी— रूपए ------ (पिछले वर्ष------- रूपए)

-सत्ताकी ओर से बैंक द्वारा खोले गए लैटर ऑफ क्रेडिट — रूपए ------ (पिछले वर्ष------- रूपए)

-बैंक से डिसकांउट किए बिल ---- रूपए ------ (पिछले वर्ष------- रूपए)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांग

आयकर ------------- रूपए ------ (पिछले वर्ष------- रूपए)
बिक्रकर------------- रूपए ------ (पिछले वर्ष------- रूपए)
नगर पालिका कर------------- रूपए ------ (पिछले वर्ष------- रूपए)

1.4 आदेशों का निष्पादन न करने के लिए पक्षकारों से किए गए दावों के संबंध में, किंतु सत्ता द्वारा विवादित------------- रूपए ----- (पिछले वर्ष------- रूपए)

2 पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के शेष संविदाओं का प्राक्कथलित मूल्य जिसके लिए व्यवस्था न हो (अग्रिमों को छोड़कर)- ------------- रूपए ------ (पिछले वर्ष------- रूपए)

3. **पट्टादायित्व:**

3.1 संयत्र और मशीनरी के लिए वित्त लीज़ के अंतर्गत किराए के लिए भाव देनदारी की राशि-------------- रूपए ------ (पिछले वर्ष------ रूपए)

4. **वर्तमान संपत्ति,ऋण और अग्रिम :**

प्रबंधन के विचार में वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिमोंकामूल्य लेन-देन के साधारणकारोबार के क्रम में प्राप्त किया जाने वाला मूल्य होता है और यह बैलेंस शीट में दर्शायी गयी राशि के लगभग बराबर होता है।

5. **कराधान :**

आयकर अधिनियम,1961 के अधीन कोई भी आय कर योग्य नहीं है, इसलिए आय करके लिए कोई भी उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
6.	**विदेशी मुद्रा लेन-देन**		
6.1	सीआईएफ आधार पर हिसाब लगाए गए आयातों का मूल्य		
	-निर्मित माल की खरीद		
	-कच्चा माल और संगठक (रास्ते में माल सहित)		
	- पूंजीगत माल		
	- स्टोर, फालतू पुर्जे और उपभोग्य वस्तुएं		
6.2	**विदेशी मुद्रा में खर्च**		
	क) यात्रा		
	ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज की अदायगी		
	ग) अन्य व्यय		
	-बिक्री पर कमीशन		
	-विधिक और वृतिक व्यय		
	-विविध व्यय		
6.3	आय		
	एफओबी आधार पर निर्यातका मूल्य		
6.4	लेखा परीक्षकों के लिए परिश्रामिक		
	लेखा परीक्षकों के लिए		
	- कराधान मामले		
	- प्रबंधन सेवाओं के लिए		
	- प्रमाणनके लिए		
	अन्य		

7. पिछले वर्ष तत्स्थानी अंकों को जहां कहीं आवश्यक हो, उसी ग्रुप में/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

8. उपाबंद्ध की गई अनुसूची 1 से 25 बैलेंस शीट और उसी तारीखको समाप्त आय और व्यय खाते के एकीकृत भाग है।

प्ररूप - I(क)

निर्देश और लेखाकरण सिद्धान्त

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण

निर्देश और लेखाकरण सिद्धान्त

1) गैर - लाभकारी और अन्य सदृश संगठनों के वित्तीय विवरण (जैसे तुलन पत्र और आय और व्यय लेखा) प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाएंगे और ये सुझाए गए प्रपत्र में, या यथा संभव उसके निकटतम प्रपत्र में होंगे।

यदि इस प्रपत्र में किसी भी मद या उपमद के तहत दी जाने वाली अपेक्षित सूचना तुलन - पत्र और आय एवं व्यय लेखा, जैसा भी मामला हो, में सुविधाजनक ढंग से शामिल नहीं की जा सकती है तो इसे, तुलन - पत्र या आय एवं व्यय लेखा के अनुबंध के रूप में और उसके भाग में समाविष्ट करके अलग अनुसूची या अनुसूचियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी सिफारिश तब की जाती है जब मदें अनेक हों।

2) तुलन - पत्र और आय एवं व्यय लेखा तैयार करने में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का एक विवरण वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाएगा, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का एक ही जगह प्रकटन किया जाना चाहिए। लेखाकरण नीतियों से अभिप्राय विनिर्दिष्ट लेखाकरण सिद्धान्तों और संगठन द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाए गए सिद्धान्तों को लागू करने की नीति से है। जब कोई भी लेखाकरण नीति, लेखाकरण मानकों के अनुरूप न हो, और लेखाकरण मानकों से हटकर अपनाई गई पद्धति का प्रभाव महत्वपूर्ण हो तो ऐसी पद्धति के विवरण का प्रकटन किया जाएगा और उसके कारण और उसके वित्तीय प्रभाव दिए जाएंगे सिवाए तब के जब ऐसे प्रभाव का पता न लगाया जा सकता हो।

3) लेखाकरण नीतियों का इस्तेमाल निरन्तर एक वित्त से आगामी वित्त वर्ष तक किया जाएगा। लेखाकरण नीतियों में किसी भी परिवर्तन, जिसका वर्तमान अवधि में महत्वपूर्ण प्रभाव हो या जिससे बाद की अवधियों में महत्वपूर्ण प्रभाव पडने की उचित आशा हो, का प्रकटन किया जाएगा। लेखाकरण नीतियों में किसी परिवर्तन के मामले में, जिसका वर्तमान अवधि में महत्वपूर्ण प्रभाव हो, उस धनराशि का भी पता लगाए जाने की सीमा तक प्रकटन किया जाएगा, जिस पर ऐसे परिवर्तन से वित्तीय विवरणों में किसी भी मद पर दुष प्रभाव पडता हो। जब ऐसी रकम का पूर्ण या आंशिक रूप से पता न लगाया जा सकता हो तो उस तथ्य का प्रकटन किया जाएगा।

4) तुलन - पत्र और आय एवं व्यय लेखा में लेनदेनों और घटनाओं के लेखाकरण व्यवहार और प्रस्तुति, उनकी भूल विषय - वस्तु द्वारा शासित होंगी न कि विधिक रूप से।

5) तुलन पत्र और/या आय एवं व्यय लेखा में लेखाकरण संव्यवहार और प्रकटन के तरीके को निर्धारित करने में विषय - वस्तु के महत्व कि अवधारणा को उचित महत्व दिया जाएगा।

6) चाहे धनराशि का पर्याप्त सटीकता के साथ अवधारणा न किया जा सकता हो, तो भी सभी ज्ञात देयताओं और घाटों का उपबंध किया जाएगा (प्रावधान की राशि से अभिप्राय केवल उपलब्ध सूचना के आलोक में सबसे सटीक अनुमान से है)।

12'उपबंध' से अभिप्राय बट्टे खाते डाली गई या परिसम्पत्तियों के मूल्य में गिरावट, नवीकरणों या न्यूनीकरण का उपबंध करके प्रतिधारित, या किसी भी ज्ञात देयता का उपबंध करके प्रतिधारित किसी भी धनराशि से है, जिसकी राशि का पर्याप्त सटीकता से अवधारण न किया जा सके।

आकस्मिक घाटे का उपबंध किया जाएगा बशर्ते कि :

क) यह संभावित हो कि किसी भी संवद्ध संभावित वसूली को हिसाब में लेने के बाद भावी घटनाओं से इस बात की पुष्टि होगी कि तुलन - पत्र की तारीख को किसी सम्पत्ति की क्षति हुई है या देयता सृजित हुई है, और

ख) परिणामी घाटे की धनराशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता हो।

यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी न होती हो, तो आकस्मिक घाटा विद्यमान होने का तब तक आय एवं व्यय लेखा की टिप्पणी के रूप में प्रकटन किया जा रहेगा। जब तक कि उस घाटे की संभावना बहुत दूर न हो।

भारतीय विमानपत्तन के वित्तीय विवरणों के संकलन सबंधी टिप्पिणियां और निर्देश

निर्देश और सिद्धान्त – जारी

7) यदि बट्टे खाते डाली गई या परिसम्पत्तियों के मूल्य में गिरावट, नवीकरणों या न्यूनीकरण का उपबंध करके प्रतिधारित, या किसी भी ज्ञात देयता का उपबंध करके प्रतिधारित कोई भी धनराशि उस धनराशि से अधिक है जिसे इस प्रायोजनार्थ उचित रूप से आवश्यक माना गया है तो उस अधिक राशि को आरक्षित राशि माना जाएगा न कि उसे उपबंध के रूप में लिया जाएगा।

8) तब तक राजस्व मान्य नहीं होगा :-

क) संबद्ध पालन प्राप्त कर लिया गया हो;

ख) प्रतिफल की धनराशि के बारे में कोई अधिक अनिश्चियता न हो;

ग) वसूली और अंतिम रूप से उगाही की आशा करना अनुचित न हो

9) निम्नलिखित के संबद्ध में आय एवं व्यय लेखा में अलग से प्रकटन किया जाएगा :

क) "पूर्व अवधि" मदें, जिनमें आय और व्यय की महत्वपूर्ण मदें समाविष्ट हैं, जो एक से या एक अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरण तैयार करने में त्रुटियों या लोपों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न हुई हैं।

ख) "असाधारण" मदें जो आय या व्यय की महत्वपूर्ण मदें है, जो सत्ता के साधारण कार्यकलापों से स्पष्ट रूप से भिन्न घटनाओं या लेनदेनों से उत्पन्न हुई हों और, इसलिए इनके बार-बार या नियमित रूप से उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ग) "विविध आय" के शीर्ष के तहत कोई भी मद जो संगठन के कुल उत्पादन/सकल आय के 1 प्रतिशत या 50000 रूपये, जो भी अधिक हो, से अधिक हो, इसे आय एवं व्यय लेखा में उचित लेखा शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा।

10) प्रपत्र में उल्लिखित अनुसूचियां, लेखाकरण नीतियां और व्याखात्मक टिप्पण, वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग होगी।

11) तुलन - पत्र और आय एवं व्यय लेखा की टिप्पणों में, तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा में उल्लिखित मदों से संबधित व्याखात्मक सामग्री होगी।

12) तुलन - पत्र और आय एवं व्यय लेखा के आकंडों, यदि पूर्णांकित किया गया हो, को निम्नानुसार पूर्णांकित किया जाएगा।

कुल उत्पादन की धनराशि	रूपये में पूर्णांकित
एक लाख से कम	सौ
एक लाख या इससे अधिक परन्तु एक करोड से कम	हजार
एक करोड या इससे अधिक परन्तु 100 करोड से कम	लाख
एक सौ या इससे अधिक परन्तु 1000 करोड से कम	करोड

13) सुझाएं गए प्रपत्रों के संबंध में सकलन संबंधी संलग्न टिप्पणों और निर्देशों का भी संदर्भ लिया जाए।

प्ररूप – 1 (ख)

अनुसूचियों के लिए टिप्पणियां और निर्देश।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के सकंलन हेतु टिप्पणियां और निर्देश

संग्रह/पूंजीगत निधि और देयताएं

अनुसूची 1- संग्रह/पूंजीगत निधि

(क) संग्रह/पूंजीगत निधि पूंजी, अंश पूंजी अथवा स्वामित्व निधि के समान होती है। इसमें आय और व्यय लेखों में दर्शाए गए सकल परिचालन परिणामों द्वारा वृद्धि/कमी के रूप में अंशदान के माध्यम, विशेषकर संग्रह निधि में प्राप्त राशि समाविष्ट होती है।

(ख) इस शीर्ष के अंतर्गत संग्रह/पूंजीगत निधि के अथ शेष, इसमें परिवर्धन, कटौती और अंत शेष दर्शाए जाएंगे।

(ग) संग्रह निधि में परिवर्धन विधान के अंतर्गत अपेक्षित अथवा लागू विनियमनों के अनुसार किसी भी आरक्षित अथवा उद्दिष्टित निधि में अंतरण का, यदि कोई हो, निवल होगा।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के सकंलन हेतु टिप्पणियां और निर्देश

संग्रह/पूंजीगत निधि और देयताएं

अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष

1. <u>पूंजी आरक्षित</u> : • *अथ शेष* • *वर्ष के दौरान परिवर्धन* • *वर्ष के दौरान कटौतियां*	'पूंजी आरक्षित' अभिव्यक्ति में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो आय और व्यय लेखा के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त मानी जाती हो। पुनर्मूल्यांकन पर अधिशेष को पूंजी आरक्षित के रूप में जाना जाएगा और उसे अलग से दर्शाया जाएगा। विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरण के अंतरण पर अधिशेष, यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित नहीं होता है।
2. <u>पुनर्मूल्यांकन आरक्षित</u> • *अथ शेष* • *वर्ष के दौरान परिवर्धन* • *वर्ष के दौरान कटौतियां*	परिवर्तनशील मूल्य की चल संपत्तियों को दर्शाने के लिए, अचल आस्तियों को जिन्हें अन्यथा परंपरागत लागत पर व्यक्त किया जाता है, पुनर्मूल्यांकित किया जाता है और परंपरागत लागत को पुनर्मूल्यांकन द्वारा बदल दिया जाता है जो सामान्यत: सक्षम मूल्यांकक द्वारा किया जाता है। ऐसे प्रतिस्थापन को, जो ऊर्धगामी पुनर्मूल्यांकन में परिणामी होता है,'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित' के रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित होता है। यह रिजर्व अप्राप्त अभिलाभ होता है और इसे आय एवं व्यय लेखे में आय के रूप में आकलित नहीं किया जाना चाहिए।
3. <u>विशिष्ट आरक्षित</u> • *अथ शेष* • *वर्ष के दौरान परिवर्धन* • *वर्ष के दौरान कटौतियां*	इनमें विशिष्ट आरक्षित शामिल होते हैं जिन्हें सत्ता पर लागू किसी कानूनी अथवा विनियामक अपेक्षा के अनुसार सृजित किया जाना अपेक्षित होता है और यदि ऐसा है तो अनुसूची 27 में लेखों पर टिप्पणयों में स्पष्ट किया जाना चाहिए।
4. <u>सामान्य आरक्षित</u> • *अथ शेष* • *वर्ष के दौरान परिवर्धन* • *वर्ष के दौरान कटौतियां*	'सामान्य आरक्षित' अभिव्यक्ति का तात्पर्य पूंजी आरक्षित और विशिष्ट आरक्षित के अलावा किसी अन्य आरक्षित से होगा। इस मद में उन आरक्षितों के अलावा जिन्हें अलग से वर्गीकृत किया किया गया है, सभी आरक्षित शामिल होंगे।

<u>टिप्पणी – सामान्य</u>

(क) आरक्षित निधि की विभिन्न श्रेणियों में बदलावको अनुसूची में यथाइंगित दर्शाया जाए।

(ख) 'आरक्षित' अभिव्यक्ति में ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो परिसंपत्तियों के मूल्य के अपकर्ष, नवीकरण अथवा ह्रास के द्वारा बट्टे खाते में डाल दिया गया हो अथवा प्रतिधारित किया गया हो अथवा किसी अज्ञात देयता के लिए व्यवस्था के रूप में प्रतिधारित किया गया हो।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के संकलन हेतु टिप्पणियां और निर्देश

संग्रह/पूंजीगत निधि और देयताएं

अनुसूची 3 – नियत/अक्षयनिधि

अनुदान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त अथवा संस्था द्वारा प्रतिधारित राशियों का, जिनका उपयोग विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और शेष राशियों का उपयोग उस विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए वे नियत हैं, इस शीर्ष के अंतर्गत प्रकटीकरण अपेक्षित है। एसी निधियां सरकार, सरकारी एजेंसियों, संस्थाओं और अन्य एजेंसियों आदि से नकद अथवा माल के रूप में प्राप्त की जा सकती हैं और संस्था द्वारा कतिपय निबंधन और शर्तों की अनुपालना के अधीन होती हैं। इस कारण, उपलब्ध शेष और उनके उपयोग को अनुसूची में सुझाए गए तरीके से प्रकट किया जाना चाहिए। केंद्रीय और/अथवा राज्य सरकार से प्राप्त योजना निधियों को निधियों की विशिष्ट श्रेणी के रूप में दर्शाया जाता है।

किसी आसन, सदन, भवन, न्यास आदि के लिए नियत/प्रदत्त अन्य योजना निधियों को निधियों की विशिष्ट श्रेणी के रूप में दर्शाया जाए।

निम्नलिखित को नियत निधियों के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा :

क) अनुदान/निधियां जो प्रोत्साहक की भागीदारी की विशेषताएं रखती हैं, जो संग्रह निधि में परिवर्धन/वृद्धि की प्रकृति की हैं।

ख) पहले के वर्षों में किए गए व्यय/हुई हानि के लिए मुआवजे के रूप में संस्था को प्राप्त निधियां/अनुदान क्योंकि इन्हें वर्ष के केवल आय एवं व्यय लेखे में ही शामिल किया जाएगा।

ग) पूंजीगत परिसंपत्तियों अथवा अन्य संसाधनों के रूप में गैर-मौद्रिक अनुदान, जो ऐसे ऋण के समतुल्य है जो पूंजी आरक्षित प्रकृति का है, जब तक कि ऐसा अनुदान संग्रह निधि में स्थिर भागीदारी के रूप में विनिर्दिष्टित न हो।

टिप्पण – साधारण

क) यह सुनिश्चित करना उचित है कि नियत निधि में वृद्धि और उसका उपयोग उससे जुड़ी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार है।

ख) नियत निधियों को, उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट नियत निवेशों अथवा अन्य परिसंपत्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ।

ग) केंद्रीय/ राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को निधियों की अलग निधि के रूप में दर्शाया जाए और अन्य निधियों के साथ न जोड़ा जाए ।

घ) अर्जित/निर्मित अचल आस्तियां से संबंधित रिकार्ड प्रत्येक नियत निधि के लिए रख जाए। तथापि, वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए और प्रत्येक निधि से संबंधित ऐसी अचल आस्तियां के लिए समुच्चय संचित लागत का प्रकटीकरण किया जाए। जबतक कि परिसंपत्तियों का कब्जा न ले लिया जाए तथा अनुसूची 8 में समाविष्ट न कर लिया जाए।

435

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

संग्रह/पूंजीगत निधि और देयताएं

अनुसूची 4 – सुरक्षितऋण और उधारियां

1.	केंद्रीय सरकार	प्रतिभूति की प्रकृति और चुकौती की शर्तें बताएं। राज्य सरकार का नामऔरप्रतिभूति की प्रकृति और चुकौती
2.	राज्य सरकार (रें)	की शर्तें और चुकौती की शर्तें बताएं।
3.	वित्तीय संस्थाएं	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ली गई उधारियां/पुनर्वित्तीयन(भागीदारी प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, पर देनदारी सहित) शामिल हैं। सामान्यत: ये मियादी ऋण के रूप में होती हैं।
4.	बैंक	वाणिज्य बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) से ली गई उधारियां /पुनर्वित्तीयनशामिल हैं।
क)	मियादी ऋण	मियादी ऋण को अन्य सुविधाओं से अलग करने की जरूरत है।
ख)	अन्य ऋण	
5.	अन्य संस्थाएं और एजेंसियांउपर्युक्त संस्थाओं/एजेंसियों के अलावा संस्थाएं/एजेंसियां शामिल हैं।	
6.	डिबेंचर और बॉन्ड	डिबेंचर और बॉन्डों के मोचन की शर्तों का उल्लेख उनके मोचन की शीघ्रातिशीघ्र तारीख के साथ किया जाए।

<u>टिप्पण –साधारण</u>

क) प्रत्येक मामले में दी गई प्रतिभूति की प्रकृति के बारे में सूचना दी जाएगी।

ख)सुरक्षित ऋण और उधारियां ऐसी होंगी जो संस्था की परिसंपत्तियों पर बंधक/रेहन/प्रभारित हों।

ग)प्रत्येक शीर्ष के तहत ऋणों की समुच्चय राशि, जैसी कि केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई है, का भी इस तथ्य के साथ कि इन्हें ऐसी गारंटी दी गई है, उल्लेख भी किया जाए ।

घ)ऋण और उधारियों में संस्थाओं एव एजेंसियों से पुनर्वित्तीयन और भागीदारी प्रमाण-पत्र पर देनदारियां शामिल हैं।

ड.)कर्जदारों को छूट के रूप में प्राप्त राशि अथवा प्राप्य वस्तुओं अथवा बिलों में छूट को उधारियों के रूप में नहीं दर्शाया जाएगा।

च) अर्जित और देय ब्याज को प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अर्जित लेकिन अदेय ब्याज इस शीर्ष केअंतर्गत शामिल नहीं की जाएगी लेकिन 'वर्तमान देनदारियों' के भाग के रूप में दर्शायी जाएगी।

छ) ऋण पर असंगत अंतर-शाखायी बकाया प्रविष्टियों को उधारियों के रूप में नहीं दर्शाया जाएगा।

ज) तुलन पत्र की तारीख को 12 माह से कम अवधि के भीतर देय राशि का उल्लेख किए जाने की जरूरत है।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

संग्रह/पूंजीगत निधि और देयंताएं

अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और उधारियां

1.	केंद्रीय सरकार	पुन:संदाय की शर्तें बताएं।
2.	राज्य सरकार (रें)	राज्य सरकार का नाम और पुन:संदाय की शर्तें बताएं।
3.	वित्तीय संस्थाएं	भारतीय औद्योगिक बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ली गई उधारियां शामिल हैं। सामान्यत: ये मियादी ऋण के रूप में होती हैं। परिसंपत्तियों पर प्रभार का सृजन लंबित होन की दशा में, अंतरिम ऋण को 'असुरक्षित' ऋण के रूप में दिया जाए।
4.	बैंक	वाणिज्य बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) से ली गई उधारियां शामिल हैं।सुविधाओं के स्वरूप का उल्लेख करें। बहियों के अनुसार अधिक राशि निकाला हुआ शेष ऋण नहीं होता है और सामान्यत: बही शेष से अधिक राशि के चैक जारी करने के कारण होता है। ऐसे शेष को ऋण के रूप में केवल तभी दर्शाया जा सकता है जबकि संस्था ओवर ड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाती है अथवा उसे यह सुविधा दी जाती है।
5.	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	उपर्युक्त संस्थाओं/एजेंसियों के अलावा संस्थाओं/एजेंसियों से ऋण शामिल हैं।
6.	डिबेंचर और बॉन्ड	डिबेंचर और बॉन्डों के मोचन की शर्तों का उल्लेख उनके मोचन की शीघ्रातिशीघ्र तारीख के साथ किया जाय।
7.	सावधि जमा	इसमें नियत अवधि के लिए और बिनाकिसी प्रतिभूति के लोगों से अथवा अन्यथा जमा राशियां शामिल हैं।

टिप्पण –साधारण

क) असुरक्षित ऋण और उधारियों में वे राशियां शामिल होती हैं जिनके संबंध में कोई भी परिसंपत्ति प्रतिभूति के रूप प्रभारित अथवा भारग्रस्त की गई है।

ख) अर्जित और देय ब्याज को प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अर्जित लेकिन अदेय ब्याज इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएगी लेकिन वर्तमान देनदारियों के भाग के रूप में दर्शायी जाएगी।

ग) तुलन पत्र की तारीख को 12 माह से कम अवधि के भीतर देय राशि का उल्लेख किए जाने की जरूरत है।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

संग्रह/पूंजीगत निधि और देयताएं

अनुसूची 6- आस्थगित ऋण देयताएं

1) परिसंपत्तियों के अभिग्रहण के संबंध में स्वीकार्यताएं और ऐसी ही अन्य दीर्घकालिक बाध्यताओं, भुगतान की देनदारियों को, जो तुलन पत्र की तारीख को 12 माह से अधिक की अवधि में आती है, यहां शामिल किया जाएगा।

2) यदि परिसंपत्तियों को देनदारियों के समान प्रतिभूति अथवा भारग्रस्त के रूप में भारित किया जाता है, इस तथ्य का यहां उल्लेख किया जाए।

3) यदि स्वीकार्यताओं की सरकार, किसी सरकारी एजेंसी, बैंक, संस्थान अथवा अन्य निकाय/संस्था द्वारा भी गांरटी दी जाती है, इस तथ्य का यहां उल्लेख किया जाए।

4) तुलन पत्र की तारीख को एक वर्ष की अवधि के भीतर देय राशि का अलग से उल्लेख किया जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

संग्रह/पूंजीगत निधि और देयताएं

अनुसूची 7- वर्तमान देयताएं और उपबंध

(क) वर्तमान देयताएं

1. स्वीकार्यताएं	इस उप-शीर्ष के अंतर्गत आदेशक के आदेश पर विनमय के बिलों पर आदेशक की स्वीकृति शामिल होगी।
2. विविध लेनदार क) माल के लिए ख) अन्य	इस उप-शीर्ष के सामने दर्शाई गई राशि में खरीदे गए सामान अथवा दी गई सेवाओं के कारण अथवा संविदागत बाध्यता के संबंध में अन्य के पक्ष में संस्था द्वारा बकाया राशि शामिल होगी। इन्हें 'माल' से अलग करने और अलग से दर्शाने की जरूरत है।
3. प्राप्त अग्रिम	इस उप-शीर्ष के सामने देनदारियों में ऐसे सामान अथवा ऐसी सेवाओं के संबंध में, जिनकी अभी आपूर्ति की जानी है/ जिन्हें अभी दिया जाना है अथवा जिनके बारे में अभी मान दिया जाना है, राशि शामिल होगी और अग्रिम अंशदान शामिल किया जाता है।
4. अर्जित ब्याज किंतु अदेय क) सुरक्षित ऋण / उधारियां ख) असुरक्षित ऋण/ उधारियां	वर्ष के अंत तक अर्जित ब्याज, लेकिन सुरक्षित/असुरक्षित उधारियों पर देय नहीं, शामिल होता है।
5. कानूनी देयताएं क) बाकी ख) अन्य	इनमें संस्था को अभिशासित करने वाले केंद्रीय/ राज्य कानूनों के रूप में देनदारियों शामिल होती है और आय कर अधिनियम, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती,कानूनी बोनस, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, ईएसआई एसएसआई यूनिटों के बकाया पर उन्हें ब्याज, बिक्री कर, उत्पाद, सीमा शुल्क, और अन्य सांविधिक आरोपित राशि के लिए भुगतान न की गई देनदारियां शामिल हैं। बकाया देनदारियां अविवादित राशियां होती हैं जो देय होती हैं तथा उनका सामान्य देय तारीख / नियत अवधि के बाद तक भुगतान नहीं किया जाता है अर्थात् वे बकाया रहती हैं।
6.अन्य वर्तमान देयताएं	इनमें अन्य उप-शीर्षों में शामिल नहीं की गई राशियां शामिल की जाती हैं। इस उप-शीर्ष में शामिल की गई भौतिक राशि को अलग से उसकी प्रकृति का उल्लेख करते हुए दर्शाया जाए। बहियों के अनुसार अधिक राशि निकाला हुआ बैंक शेष को भी, जहां संस्था को कोई संस्वीकृत सीमा/ओवर ड्राफ्ट सुविधा नहीं है, इस उप-शीर्ष के तहत शामिल किया जाएगा अथवा "बही शेष से अधिक अधिक राशि निकाला हुआ बैंक शेष" के रूप में अलग से प्रकट किया जाएगा।

टिप्पण –साधारण

वर्तमान देनदारी वह देनदारी होती है जो अपेक्षाकृत अल्पावधि, सामान्यत: 12 माहीनों से अधिक नहीं, के भीतर भुगतान हेतु देय होती है ।

(432)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

संग्रह/पूंजीगत निधि और देनदारियां

अनुसूची 7- वर्तमानदेयताएं और उपबंध
(ख) वर्तमान प्रावधान

1. कराधान के लिए	वर्ष के अंत तक कर के मामलों की स्थिति के आधार पर प्रावधान करने और बनाए रखने की जरूरत होती है।
2. उपदान	कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान के लिए देनदारियों का प्रावधान को बीमांकिक आधार पर उपार्जित किए जाने और वर्ष के अंत तक प्रदान किए जाने की जरूरत होती है।
3. सेबानिवृत्ति / पेंशन	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर देय देनदारियों के लिए प्रावधान को बीमांकिक आधार पर उपार्जित किए जाने और वर्ष के अंत तक प्रदान किए जाने की जरूरत होती है।
4. संचित अवकाश	कर्मचारियों के संचित अवकाश के नकदीकरण के लिए देनदारियों के प्रावधान को बीमांकिक आधार पर उपार्जित किए जाने और वर्ष के अंत तक प्रदान किए जाने की जरूरत होती है।
5. व्यापार वारंटियां / दावे	जहां पर संस्था बिक्री के लिए सामान तैयार करती/ बनाती है, यह व्यापार वारंटी जाखिमों के लिए जिम्मेवार होगी, जिसे एक तर्कसंगत/औचित्यपूर्ण आधार पर दिए जाने की जरूरत है।
6. अन्य	इसे विनिर्दिष्टित किए जाने की जरूरत है और इसमें संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे प्रासंगिक परिसंपत्ति शीर्ष से घटा दिया जाएगा।

टिप्पण –साधारण

प्रावधान एक परिसंपत्ति के अपकर्ष अथवा मूल्य ह्रास के रूप में राशि को बट्टे खाते में डालने अथवा उसके लिए प्रावधान करने, अथवा ज्ञात देनदारियों के प्रावधान के रूप में प्रतिधारित राशि है, जिसकी मात्रा को वास्तविक सटीकता से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आस्तियां
अनुसूची 8 – स्थायी आस्तियां:

1.	भूमि	
क)	फ्रीहोल्ड	जब अचल संपत्तियां एक मिश्रित लागत अदा करके खरीदी /अधिगृहित की गई हों तो भूमि का की लागत का उचित/विश्वसनीय अनुमान बनाया जाना चाहिए।
ख)	पट्टा	पट्टे की अवधि में फ्रीहोल्ड भूमि का ऋण परिशोधन किया जाना चाहिए बशर्ते कि पट्टा स्थायी न हो
2.	भवन	
क)	फ्रीहोल्ड	जहां तक व्यवहार्य हो, विभिन्न दरों पर मूल्यह्रास के प्रावधान के प्रयोजनों से फैक्ट्री और कार्यालयभवनों में अंतर किया जाए।
ख)	पट्टा भूमि पर	भवन/परिसरवे होने चाहिए जिन्हें संगठन के कार्यकलापों के प्रयोजनसे पूर्ण/आंशिक रूप से इस्तेमाल कियाजाना हो और इनमें 'निवेश संपत्यिं' शामिल नहीं होगी
ग)	स्वामित्व फ्लैट/परिसर	पट्टा भूमियों पर ऊपरी ढांचों का मूल्याह्रास लगाया जाना चाहिएजो भूमि के ऋण के परिशोधन के समाप्तहोना चाहिए, बशर्ते कि ऊपरी ढांचों की मियाद अपेक्षाकृत कम न हो।
घ)	भूमि पर ऊपरी ढांचें जो संगठन के नहीं	भवनों में सड़कें, पुल और पुलिया शामिल होगी।

3. संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर

इस उपशीर्ष के तहत शामिल मदें इस प्रकार होंगी:

-अर्थ मूविंग मशीनरी
-बॉयलर
- फर्नेस
-जनरेटर
डाई/मोल्ड-
भवन निर्माण संविदाओं जैसेविशिष्ट उद्योग/सेवाओं के लिए, अस्पतालों/क्लीनिकों,
प्रसंस्करण यूनिटों, हाईड्रालिक कार्यो (पाईपलाईनों सहित) टूल रूमों में प्रयुक्त मशीन

खाता बहियों में अलग से खाता शीर्ष रखा जाना चाहिए और उसका स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टरों के साथ समाधान किया जाना चाहिए।

उपरोक्त शीर्षों के तहत सूचना के प्रकटन की आशा की जाती है।

4. यान

इस उपशीर्षके तहत शामिल मदें इस प्रकार होंगी:

-ट्रैक्टर / ट्रेलर
-ट्रक, जीप और वैन
-मोटरकार
मोटर साईकिल, स्कूटर, तीन पहिया वाहन और मोपेड
-रिक्शा

खाता बहियों में अलग सेखाता शीर्ष रखा जाना चाहिए और उसका स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टरों के साथ समाधान किया जाना चाहिए।

उपरोक्त शीर्षों के तहत सूचना के प्रकटन की आशा की जाती है।

5. फर्नीचर, जुड़नार

इस उपशीर्ष के तहत शामिल मदें इस प्रकार होंगी:

क) केबिनेट /अलमारियाँ /फाइलिंगरैक
ख) एयर कंडीशनर/ एयर कंडीशनर प्लांट
ग) एयर कूलर
घ) वाटर कूलर
ङ) टेबल चेयर/सोफे/कालीन
च) लकडी के पार्टिशन/अस्थायी ढांचे
छ) वोल्टेज स्टेबलाईजर, यूपीएस सिस्टम
ज) अन्य मदें

खाता बहियों में अलग सेखाता शीर्ष रखा जाना चाहिए औरउसका स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टरों के साथ समाधान किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण धनराशियों के लिए, उपरोक्त शीर्षों के तहत सूचना के प्रकटन की आशा की जाती है।

6. कार्यालय उपस्कर

इस उपशीर्ष के तहत शामिल मदें इस प्रकार होंगी :

क) टाईपराईटर
ख) फोटोकॉपी मशीन/डुप्लिकेटर
ग) फैक्स मशीन

खाता बहियों में अलग सेखाता शीर्ष रखा जाना चाहिए और उसका स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टरों के साथ समाधान किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण धनराशियों के लिए, उपरोक्त शीर्षों के तहत सूचना के प्रकटन की आशा की जाती है।

7. कंप्यूटर सहायक उपकरण

कंप्यूटर, प्रिंटर और फ्लोपी, सीडी, सॉफ्टवेयर आदि जैसे उनके सहायक उपकरण इस शीर्ष के तहत मदें होंगी।

खाता बहियों में अलग सेखाता शीर्ष रखा जाना चाहिए और उसका स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टरों के साथ समाधान किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण धनराशियों के लिए, उपरोक्त शीर्षों के तहत सूचना के प्रकटन की आशा की जाती है।

8. विद्युत उपकरण — इस उपशीर्ष के तहत शामिल मदें इस प्रकार होंगी :
क) विद्युत मशीनरी
ख) बिजली की लाइटेंपंखें
ग) स्विचगियरउपकरण
घ) ट्रांसफॉर्मर
ड) बिजली के तार और फिटिंग
खाता बहियों में अलग सेखाता शीर्ष रखा जाना चाहिए और उसका स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टरों के साथ समाधान किया जाना चाहिए।महत्वपूर्ण धनराशियों के लिए, उपरोक्त शीर्षों के तहत सूचना के प्रकटन की आशा की जाती है।

9. पुस्तकालय पुस्तकें — कुछ मामलों में, पुस्तकालय पुसत्कों की संख्या बहुत ज्यादाहो सकतीहै या कोई स्थापित पुस्तकालय हो सकता है। ऐसे मामलों में, इन पुस्तकों का प्रकटन परिसंपत्तियों की एक अलग श्रेणीके रूप में किया जाए। पुस्तकालय पुस्तकोंमें पुस्तकें/पत्रिकाएं/सीडी रोम में रखी गई सूचना शामिल होगी।

10. ट्यूबवेल और जलापूर्ति प्रणाली — ट्यूबवेल और जलापूर्ति प्रणाली को एक अलग श्रेणी के रूप में दर्शाया जाए।

11. चालू पूंजीगत कार्य — निर्माण की प्रक्रिया में स्थायी परिसंपत्तियों को जब तक इस शीर्ष के तहत दर्शाया जाना चाहिए जब तक कि वे उनके निर्धारित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। इसमें अधिगृहीतप्लांट, मशीनरी और उपस्करतथा लंबित संस्थापन भी शामिल किया जाना चाहिए।

<u>टिप्पण –साधारण</u>

1. स्थायी परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिन्हें उत्पादन या सेवाओं की व्यवस्था के प्रयोजन से इस्तेमाल किए जाने के उद्देश्य से न कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री के लिए धारित किया गया हो।
2. प्रत्येक उप-शीर्षके तहत निम्नलिखित दर्शाया जाना चाहिए :
   क) वर्ष के प्रारंभ में लागत या मूल्यन
   ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन(अधिग्रहणऔरअनुदानों,दोनों से)
   ग) वर्ष के दौरान कटौतियां (बिक्री,बेचने,बट्टे खाते सहित)
   घ) वर्ष के अंत में कुल लागत और मूल्यन
   ङ) गत वर्ष के अंत तक मूल्यह्रास, जो वर्ष के दौरान परिवर्धनों/कटौतियों परहों और वर्ष के अंत तक कुल संचित मूल्यह्रास
   च) वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का निवल ब्लॉक
3. अधिगृहित (अनुदानों या रियायती दरों के माध्यम सहित) या निर्मित स्थायी परिसंत्तियों के लेखाकरण से संबंधित लेखाकरण नीति का प्रकटन,मूल्यह्रास/ऋण परिशोधन के लिए अपनाई गई पद्धति के साथ किया जाना चाहिए।
4. जब किन्हीं भी परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन के कारण उनकी राशियों को खाते में शामिल किया जाता है तो उसके आधार का प्रकटन किया जाना चाहिए; और पुनर्मूल्यन के उपरांत प्रथम तुलन पत्र के बाद प्रत्येक तुलन पत्र में संशोधन की तिथि और राशि के साथ पांच वर्ष की अवधि के संशोधित आंकड़े दर्शाए जाने चाहिए।
5. जब विशिष्टि स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान प्राप्त हो और ये परिसंपत्ति की संपूर्ण या वास्तविक संपूर्ण लागत के बराबर हो, तो स्थायी परिसंपत्तियों को नाममात्र के मल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया जाना चाहिए।

विकल्प के रूप में,मूल्यह्रास योग्य स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को आस्थगित आय माना जाए और इसे इसी परिसंपत्तियों की उपयोगी मियाद में व्यवस्थित और तार्किक आधार पर आय और व्यय लेखा में शामिल किया जाए अर्थात ऐसे अनुदानों को अवधियों में और उस अनुपात में आय को आबंटित किया जाना चाहिए जिसमें मूल्यह्रास लगाया गया हो।
गैर मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को "पूंजीगत आरक्षित निधि" में डाला जाना चाहिए बशर्ते कि पूर्ति की अपेक्षा से संबंधित कोई पूर्व शर्त न हो।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण

आस्तियां

अनुसूची-8– अस्थायी आस्तियां

टिप्पण– साधारण

6. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास का प्रावधान इसलिए किया जाएगा ताकि मूल्यह्रास योग्य आस्तियां की उपयोगी मियाद में उसकी मूल्यह्रास योग्य राशि कोप्रभारित किया जा सके।

मूल्यह्रास, प्रौद्योगिकी और बाजार परिवर्तनों के माध्यम से इस्तेमाल, समय बीतने या अप्रचलित होने से उत्पन्न मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति के जीर्णशीर्ण होने, उपभोग होने या अन्य क्षति होने का पैमाना है। इसमें परिसंपत्तियों का ऋण परिशोधन, जिनकी उपयोगी मियाद का निर्धारणकिया जाता है,और बेकार होने वाली परिसंपत्तियों की पूर्ति न होना शामिल है।

इस प्रयोजनार्थ :

क) मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति से अभिप्राय उस परिसंपत्ति से है जिसे –

(i) एक या एक से अधिक लेखाकरण अवधि के दौरान इस्तेमाल किए जाने की आशा हो, और

(ii) जिसकी सीमित उपयोगी मियाद हो; और

(iii) जो संगठन द्वारा माल और सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए, अन्य को किराये पर देने के लिए, या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए धारित की गई हो और जो उसके कारोबार/प्रचालन कार्यकलापों की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री के प्रयोजन के लिए न हो।

ख) मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य धनराशिसे अभिप्राय इसकी मूल लागत, या अवशिष्ट मूल्य को घटाकर वित्तीय विवरणों में मूल लागत के स्थान पर रखी गई अन्य धनराशि से है ;

ग) उपयोगी मियाद से अभिप्राय इनमें से एक से है –

(i) वह अवधि जिसमें मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति का संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने की आशा है, या

(ii) उत्पादन की संख्या या सदृश यूनिटें जो संगठन को परिसंपत्ति के उपयोग से प्राप्त होने की आशा है।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण

परिसंपत्तियां

अनुसूची 9- निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश:

1. सरकारी प्रतिभूतियां	इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियां तथा सरकारी राजकोषीय बिल शामिल है। ये प्रतिभूतियां लागत/अंकित मूल्य में प्रदर्शित की जानी चाहिए। तथापि, ऐसी मूल्य तथा बाजार मूल्य के बीच का अंतर बैलेंस शीट की टिप्पणियों में दिया जाना चाहिए।
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	अनुमोदित प्रतिभूतियों (न्यासी प्रतिभूतियां के रूप में) के रूप में संसाधित सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा प्रतिभूतियां इसमें शामिल की जानी चाहिए।
3. शेयर	मद 2 में शामिल नहीं किए गए कंपनियों तथा निगमों के शेयरों में निवेश को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
4. डिबेंचर और बांड	मद 2 में शामिल नहीं किए गए कंपनियों तथा निगमों के डिबेंचर तथा बांडों में निवेश को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
5. सहायक और/संयुक्त उपक्रम	सहायक/संबद्ध संस्था में निवेश को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। एक संस्था को 'सहायक' अथवा संयुक्त काश्तकार के रूप में देखा जाना चाहिए, यदि कोई संस्था बिना किसी तत्संबंधी निवेश के साथ या बिना प्रबंधन/सरकारी निकाय की संरचना के उपर नियंत्रण रखता हो। कोई संस्था इस वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए सहायक के रूप में समझा जाएगा, यदि किसी संस्था द्वारा वर्ष के शुरूआत में ही संस्था की राशि का 25 % से अधिक हिस्सा संघटित हो।
6. अन्य (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)	शेयर/डिबेंचर बांड की प्रकृति में बिना शामिल म्युचुअल फंड मेंअवशिष्ट निवेश जैसे- वाणिज्यिक पेपर, निवेश (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) शामिल है। संपत्तियों में निवेश, यदि कोई हो, भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए ।

टिप्पण –साधारण

1. सकल मूल्य का कुल योग, कुल योग में अवमूल्यन तथा निवेश में निवल मूल्य को पृथक रूप सेदर्शाया जाना चाहिए। अनुमोदित प्रतिभूतियों (ऊपर 1 तथा 2में कवर किया गया) को मूल्य में कमी तथा निरूपण के लिए श्रेणी "स्थायी" और "वर्तमान" में पृथक करने की आवश्यकता है।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आस्तियां

अनुसूची 9- निर्धारित/स्थायी निधियोंसे निवेश :

टिप्पण –साधारण

2. क.)निवेश या तो "दीर्घकालिक" अथवा"स्थायी" अथवा "वर्तमान" हो सकता है।

ख.) "वर्तमान निवेश" से अभिप्राय है कि एक ऐसा निवेश जो अपनी प्रकृति में पूरी तरह से कार्यान्वित किए जाने योग्य होने चाहिए तथा निवेश की गई तारीख से एक वर्ष से अधिक तक नहीं आयोजित किए जाने के लिए हो।

ऐसे निवेश न्यूनतम लागत अथबा अपने अंकित मूल्य में प्रदर्शित की जानी चाहिए, जिसे निजी निवेश आधार पर नियत किया जाएगा तथा कमी को पूरा किया जाएगा, जबकि मूल्य-वृद्धि नहीं की जाएगी।

ग.)दीर्घकालिक निवेश वैसे निवेश होते हैं जो वर्तमान निवेश से अलग होते हैं, तथा ये पूंजी मूल्य-वृद्धि तथा आय के प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं।

ऐसे निवेश लागत पर मान्य होते हैं तथा प्रत्येक निवेश के लिए किए जा रहे अपने मूल्य-कटौती में, स्थायी के अलावा, जब अवनति हो तब इसमें कटौती की जाएगी।

3. निर्धारित/स्थायी निधियों में किए निवेश को अलग-अलग प्रकट किए जाने की आवश्यकता है।

4. संपत्तियों में निवेश, यदि किया जाए, नियत परिसंपत्तियों के मामले में कम मूल्य-ह्रास लागत पर दर्शाया जाएगा।

5. कोई संस्था दीर्घकालिक व वर्तमान निवेशों दोनों के लिए निवेश, पनी लागत, अवमूल्यन तथा मूल कीमत के संबंध में लेखांकन नीतियों को प्रकट करेगा।

6. स्थायी निवेशों के अधिग्रहण पर भुगतान किया गया कोई भी प्रीमियम अपनी परिपक्वता तिथि तक अनुपात आधार पर एक समय तक परिशोधित किया जाएगा।

7. संपादित नहीं किए गए परिपक्व निवेश को अलग से प्रदर्शित किया जाएगा।

426

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आस्तियां

अनुसूची 10- निर्धारित/स्थायी निधियोंसे निवेश :

1. सरकारी प्रतिभूतियां	केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियां तथा सरकारी राजकोषीय बिल शामिल है। ये प्रतिभूतियां लागत/अंकित मूल्य में प्रदर्शित की जानी चाहिए। तथापि, ऐसी मूल्य तथा बाजार मूल्य के बीच का अंतर बैलेंस शीच की टिप्पणियों में दिया जाना चाहिए।
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	अनुमोदित प्रतिभूतियों (न्यासी प्रतिभूतियां के रूप में) के रूप में संसाधित सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा प्रतिभूतियां इसमें शामिल की जानी चाहिए।
3. शेयर	मद 2 में शामिल नहीं किए गए कंपनियों तथा निगमों के शेयरों में निवेश को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
4. डिबेंचर और बांड	मद 2 में शामिल नहीं किए गए कंपनियों तथा निगमों के डिबेंत्रर तथा बांडों में निवेश को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
5. सहायक और/संयुक्त उपक्रम	सहायक/संबद्ध संस्था में निवेश को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। एक संस्था को 'सहायक' अथवा संयुक्त काश्तकार के रूप में देखा जाना चाहिए, यदि कोई संस्था बिना किसी तत्संबंधी निवेश के साथ या बिना प्रबंधन/सरकारी निकाय की संरचना के उपर नियंत्रण रखता हो। कोई संस्था इस वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए सहायक के रूप में समझा जाएगा, यदि किसी संस्था द्वारा वर्ष के शुरूआत में ही संस्था की राशि का 25 % से अधिक हिस्सा संघटित हो।
6. अन्य (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)	शेयर/डिबेंचर बांड की प्रकृति में बिना शामिल म्युचुअल फंड मेंअवशिष्ट निवेश जैसे- वाणिज्यिक पेपर, निवेश (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) शामिल है। संपत्तियों में निवेश, यदि कोई हो, भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए ।

टिप्पण –साधारण

1. सकल मूल्य का कुल योग, कुल योग में अवमूल्यन तथा निवेश में निवल मूल्य को पृथक रूप सेदर्शाया जाना चाहिए। अनुमोदित प्रतिभूतियों (ऊपर 1 तथा 2में कवर किया गया) को मूल्य में कमी तथा निरूपण के लिए श्रेणी "स्थायी" और "वर्तमान" में पृथक करने की आवश्यकता है।

425

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

<u>आस्तियां</u>

<u>अनुसूची 10- निवेश– अन्य</u>

<u>टिप्पण –साधारण</u>

2. क.) निवेश या तो "दीर्घकालिक" अथवा"स्थायी" अथवा "वर्तमान" हो सकता है।

ख.) "वर्तमान निवेश"से अभिप्राय है कि एक ऐसा निवेश जो अपनी प्रकृति में पूरी तरह से कार्यान्वित किए जाने योग्य होने चाहिए तथा निवेश की गई तारीख से एक वर्ष से अधिक तक नहीं आयोजित किए जाने के लिए हो।

ऐसे निवेश न्यूनतम लागत अथवा अपने अंकित मूल्य में प्रदर्शित की जानी चाहिए, जिसे निजी निवेश आधार पर नियत किया जाएगा तथा कमी को पूरा किया जाएगा, जबकि मूल्य-वृद्धि नहीं की जाएगी।

ग. दीर्घकालिक निवेश वैसे निवेश होते हैं जो वर्तमान निवेश से अलग होते हैं, तथा ये पूंजी मूल्य-वृद्धि तथा आय के प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं।

ऐसे निवेश लागत पर मान्य होते हैं तथा प्रत्येक निवेश के लिए किए जा रहे अपने मूल्य-कटौती में, स्थायी के अलावा, जब अवनति हो तब इसमें कटौती की जाएगी।

3. निर्धारित/स्थायी निधियोंमें किए निवेश को अलग-अलग प्रकट किए जाने की आवश्यकता है।

4. संपत्तियों में निवेश, यदि किया जाए, नियत परिसंपत्तियों के मामले में कम मूल्य-ह्रास लागत पर दर्शाया जाएगा।

5. कोई संस्था दीर्घकालिक व वर्तमान निवेशों दोनों के लिए निवेश, पनी लागत, अवमूल्यन तथा मूल कीमत के संबंध में लेखांकन नीतियों को प्रकट करेगा।

6. स्थायी निवेशों के अधिग्रहण पर भुगतान किया गया कोई भी प्रीमियम अपनी परिपक्वता तिथि तक अनुपात आधार पर एक समय तक परिशोधित किया जाएगा।

7. संपादित नहीं किए गए परिपक्व निवेश को अलग से प्रदर्शित किया जाएगा ।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आस्तियां

अनुसूची -11मौजूदा आस्तियां,ऋण और अग्रिम इत्यादि

क. मौजूदा आस्तियां	सामान सूचियों में सामान्य कारोबारी में बिक्री के लिए या ऐसी बिक्री के लिए उत्पादन की प्रक्रिया में या रखरखाव संबंधी आपूर्ति और मशीनी कल-पुर्जों से भिन्न अन्य कन्ज्यूमेबल सामानसहित बिक्री के लिए वस्तुओंअथवासेवाओं के उत्पादन में उपभोग के लिए रखी जाने वाली मूर्त संपत्ति शामिल है।
1. सामान सूचियां	
क) स्टोर और स्पेयर	
ख) लूज़ टूल्स	
ग) स्टॉक-इन-ट्रेड	सामान सूचियों के मूल्यांकन का आधार प्रकट किया जाना चाहिए।
तैयार माल	तैयार माल में प्रतिष्ठान के सभी स्थानों पर खरीदी/बनाई गई या रखी गईमाल शामिल होंगी।
प्रगतिशील कार्य	
कच्चा सामग्री	कच्चे सामग्री में बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए या कन्ज्यूम किए गए हिस्से या घटक शामिल होंगे।
2. विविध लेनदार	लेनदारों में वे व्यक्ति शामिल होंगे जिन पर बेची गई,वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं या ठेके संबंधी दायित्वों के संबंध में धनराशियां उधार हैं।
क) छह माह से अधिक समय से बकाया ऋण	
ख) अन्य	वसूली के लिए विश्वसनीय और वसूली में संदेहास्पद माने जाने वाले कर्ज अलग-अलगदर्शाएजाएंगे।यदिसंदेहास्पदकर्जोंकेसंबंधमेंप्रावधानकिएगएहों ,तो वे प्रावधान संदेहास्पद माने जाने वाले कर्जों की राशि में कमी के रूप में दर्शाए जाने चाहिए।
3. मौजूदा नकद शेष (चैक/ड्राफ्टऔरइम्प्रेस्ट सहित)	
4. बैंक में शेष राशि	निर्धारित/एन्डाउमेन्टनिधियोंकेरूपमेंबैंकमेंरखीगईशेषराशियांअलग-अलग दर्शाई जानी चाहिए।
क) अनुसूचित बैंकों में	
करेन्ट खातों में	जहाँ कोई डिपॉजिट खाता सिक्योरिटी के रूप में प्लेज किया गया हो या भारित हो ,वह तथ्य प्रकट किया जाना चाहिए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

निक्षेप खातों (मार्जिनमनीसहित)	ओवरड्यू/मैच्योर हो चुके डिपॉजिट अलग दर्शाए जाने चाहिए।
बचत खातों में	
ख) गैर – अनुसूचित बैंकों में	
करेन्ट खातों में	
निक्षेप खातों में	
बचत खातों में	
5. डाकघर-बचत खाते	

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

<u>आस्तियां</u>

अनुसूची -11मौजूदा आस्तियां ऋण और अग्रिम इत्यादि ,

<u>ऋण ,अग्रिम और अन्यआस्तियां</u>	
1. <u>ऋण</u>	
क) कर्मचारी	
ख) इस प्रतिष्ठान के कार्यकलापों जैसे कार्यकलापों/उद्देश्योंमें लगे अन्य प्रतिष्ठान ग) अन्य ब्यौरा दें	वसूली-योग्य माने जाने वाले ऋण और अग्रिम दर्शाए जाने चाहिए। यदि किसी धनराशि की वसूली के विषय में संदेह हो तो ऐसी धनराशि का उल्लेख प्रत्येक उप-शीर्ष में किया जाना चाहिए और यदि कोई प्रावधान ऐसी राशि में कमी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि ब्याज वाले कर्मचारी ऋणों पर अर्जित ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन चुकाए जाने के बाद ही शुरू होगी उस ब्याज का लेखांकन किया जाना चाहिए, ऐसे प्रतिष्ठानों को दिए गए जिन अनुदानों/सब्सिडी /दान की वसूली नहीं की जा सकती है ,उन्हें यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी धनराशि पर ब्याज देय हो तो वर्ष के अंत तक अर्जित ब्याज का समायोजन किया जाना चाहिए।
2. नकदी या काइंड या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली जा सकने वाले अग्रिम और अन्य धनराशियां	
क) पूँजीगत खाते में	पूँजीगत कार्यों के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारोंकोदिएगएअग्रिमइसउप-शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए जाने चाहिए।
ख) पूर्वभुगतान	इसमें पूर्वभुगतान किए गए खर्च शामिल हैं।
ग) अन्य	इसमें कर्जदारों से भिन्न अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हो सकने वाली धनराशियां शामिल होंगी।
3. <u>अर्जित आय</u> क) निर्धारित/एन्डाउमेंट निधियों से निवेश पर	वर्ष के अंत तक 'अर्जित और देय आय' तथा 'अर्जित और अदेय आय' दोनों को इस शीर्ष में शामिल किया जाना चाहिए।
ख) निवेश पर-अन्य	निर्धारित/एन्डाउमेंटनिधियोंसेनिवेशपरआयत तथाअन्यनिवेशोंपरआयकोअलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए।
ग) ऋणों और अग्रिम पर	
घ) अन्यवसूलीनगईदेयआयशामिलहै	निर्धारित/एन्डाउमेन्ट निधियों के रूप में बैंक में रखी गई शेष राशियां अलग-अलग दर्शाई जानी चाहिए। यदि वसूली या पूर्ण संग्रहण के विषय में अनिश्चितता हो तो आय को मान्यता नहीं प्रदान करनी चाहिए और यदि मान्यता प्रदान की गई हो तो उसका प्रावधान किया जाना चाहिए। लाभांशों की घोषणा की तारीखों से उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। अर्जित लेकिन वसूली न गई आय के संबंध में अलग से प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।
4. प्राप्त किए जाने योग्य दावे	वसूली-योग्य माने जाने वाले दावे ही शामिल किए जाने चाहिए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय एवं व्यय खाता आय-

अनुसूची - 12बिक्री सेवाओं से आय/

बिक्री से आय

1) बिक्री से आय क) तैयार माल की बिक्री ख) कच्चेसामग्री की बिक्री ग) कबाड़ की बिक्री	बिक्री में वह संपूर्ण राशि शामिल है,जो ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और रिटर्न के नेट ब्यौरे दर्शाए जाएंगे। बिक्रीतब संपन्न होती है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल विक्रेता से क्रेता को हस्तांरित हो जाते हैं,चाहेभुगतान या माल की प्रदायगी का समय जो भी हो। निर्यात बिक्री का प्रकटीकरण अलग से किया जाना चाहिए।
2.सेवाओं से आय	सकल आय के आँकड़े दर्शाए जाने चाहिए और स्रोत पर कर कटौती अलग से दर्शाई जानी चाहिए।
क) श्रम और प्रसंस्करण प्रभार	अन्य प्रतिष्ठानों के लिए वस्तुओं/सामग्री के संस्करण/निर्माण के लिए वसूले जा सकने वाले श्रम और प्रसंस्करण प्रभार इस उप-शीर्ष में दर्शाए जाने चाहिए।
ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं	प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की गई व्यावसायिक सेवाओं के लिए परामर्श प्रभार या शुल्क इस उप-शीर्ष में दर्शाए जाने चाहिए।
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली	जहाँ प्रतिष्ठान प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर कार्य किए बिना अन्य के लिए वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए दलाल या एजेंट की भूमिका निभाए ,वहाँ अर्जित कमीशन या दलाली की आय इस उप-शीर्ष में दर्शाई जानी चाहिए।
घ) रखरखाव सेवाएं	जहाँ प्रतिष्ठान उपकरणों या संपत्ति इत्यादि के लिए रखरखाव ठेके ले वहाँ वर्ष के अंत तक इस स्रोत से अर्जित आय इस उप-शीर्ष में शामिल की जानी चाहिए।
ङ) अन्य ब्यौरादें	

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय तथा व्यय खाता- आय

अनुसूची 14- शुल्क/ अंशदान

1. प्रवेश शुल्क- प्रत्येक मद संबंधी लेखांकन नीति को दर्शानाहोगा।
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान- प्रवेश शुल्क, अंशदान आदि जैसे शुल्क यदि पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में हैं तो ऐसी राशियां संग्रह/पूंजी निधि में जाना चाहिए। अन्यथा ऐसी राशियां इस अनुसूची में समाहित की जाएंगी।
3. सेमिनार/परामर्श शुल्क- यदि किसी संस्था का प्रमुख कार्यकलाप सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन करना तथा/अथवा परामर्श सेवाएं प्रदान करना हैं, तो ऐसी आय अनुसूची 12 का हिस्सा होना चाहिए।
4. परामर्श शुल्क- सकल प्राप्तियां यहां प्रदर्शित की जानी चाहिए। सेमिनार/कार्यशाला, परामर्शी सेवाओं आदि पर किया गया व्यय अनुसूची 21 में 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय तथा व्यय खाता- आय

अनुसूची15- निवेश से आयः

1. ब्याज	1. निवेश से प्राप्त आय को सकल आंकड़ों में प्रकट किया जाना चाहिए तथा कर कटौती को अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर ख. अन्य बांड/डिबेंचर	2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज में निम्न शामिल होना चाहिएः क. ब्याज की अंतिम लागू तिथि तक कूपन रेट पर अर्जित ब्याज अर्थात- अर्जित ब्याज व बकाया, तथा ख. कूपन रेट पर वर्ष-समाप्ति तक तत्पश्चातप्राप्त ब्याज।
2. लाभांश क. शेयर पर ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	3. बांड तथा डिबेंचर संबंधी आय में रियायत प्रदान किए गए बांड पर वर्ष-समाप्ति तक प्राप्त ब्याज शामिल होगा, उनके जारी करने संबंधी शर्तों के आधार पर बराबरी मूल्य या अधिमूल्य पर क्षतिपूर्ति की जाएगी। 4. तत्संबंधी घोषित तिथि के आधार पर लाभांश प्राप्त किया जाएगा अर्थात जब संस्था के पास उक्त को प्राप्त करने का अधिकार हो।
3. किराया	5. किराया को संपत्तियों पर किए गए निवेश से प्राप्त आय के रूप में दिखाया जाएगा, यदि कोई हो।
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	6. अतिदेय/परिपक्व निवेश पर दावा किए गए ब्याज को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी, बशर्तें ऐसी मांगों की पूर्व- शर्तें पूरी न हों।
	7. निवेश पर आय के संबंध में अंतर किया जाना चाहिएः क. संस्था द्वारा स्वामित्व वाली; तथा ख. निर्धारित/स्थायी निधि के रूप में निधि
	8. वर्ष के अंत में,निर्धारित/स्थायी निधियों से किए गए निवेश से प्राप्त कुल आय को अनुसूची 3 के माध्यम से निधियों में हस्तांतरित की जानी चाहिए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय और व्यय लेखा –आय

अनुसूची 16- रायल्टी, प्रकाशन आदि से आयः

1. रायल्टी से आय - प्रत्येक मद संबधी लेखांकन नीतियों को प्रकट करना होगा
2. प्रकाशन से आय - यदि किसी संस्था का प्रमुख कार्यकलाप किताबें, पत्रिकाएं, दस्तावेज़ प्रकाशित करना हैं, आदि प्रकाशित करना है,तो ऐसी आय अनुसूची 12 का हिस्सा होना चाहिए।
3. अन्य (निर्दिष्ट करें) - सकल प्राप्तियां यहां प्रदर्शित की जानी चाहिए। प्रकाशन आदि पर किया गया व्यय अनुसूची 21 में 'अन्य प्रशासनिक व्ययों' के रूपमेंप्रदर्शित किया जाना चाहिए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय तथा व्यय लेखा – आय

अनुसूची – 17अर्जित ब्याज :

1. सावधि जमा राशि	1. सकल आंकड़ों में अर्जित ब्याज आय दर्शायी जाए सत्रोत से काटे गए कर का पृथक रूप से उल्लेख किया जाए।
क. अनुसूचित बैंकों में	
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में-	
ग. संस्थाओं में	
घ. अन्य	
2. बचत खाते पर	2. आय के संबंध में भिन्नता रखी जाएं-
क. अनुसूचित बैंकों में,	क. संस्था के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों पर तथा
ख. अनुसूचित बैंकों में	ख. इन्हें निर्धारित/स्थाई निधि में रखा जाए
ग. डाकघर बचत खाते में	
घ. अन्य	

3. ऋण

क. कर्मचारी/कर्मचारीवृदं

ख. अन्य

4.देनदारों और अन्य प्राप्यों संबंधी ब्याज

(५१९)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय तथा व्यय लेखा आय -

अनुसूची – 18 अन्य आय :

1.सम्पत्तियों की बिक्री/ निपटारे पर लाभ — बिक्री मुनाफा/प्राप्तियां,सम्पत्तियों के दर्ज मूल्य की निवल राशि,यदि कोई अधिशेष है, को इस उपशीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाए।

क. निजी सम्पत्तियां

ख. अनुदानों अथवा निशुल्क प्राप्तियों से पृथक अधिग्रहित सम्पत्तियां

2. प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन

दावा किए गए निर्यात प्रोत्साहन और वर्ष के अंत तक प्राप्त न किए गए प्रोत्साहन को आय में शामिल न किया जाए।

3. विविध सेवाओं के लिए फीसविविध आय में शामिल महत्वपूर्ण राशि की मदें पृथक रूप से प्रकट की जानी चाहिए।

4. विविध आय

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय तथा व्यय लेखा आय -

अनुसूची – 19 परिष्कृत मालों के स्टाक में वृद्धि(कमी) और कार्य प्रगति

क. अंतशेष स्टाक
- परिष्कृत सामान
- कार्य प्रगति

स्टाक के मूल्यांकन से संबंधित लेखांकन नीतियां घोषित की जाएं

ख. घटाएं: अथशेष स्टाक
- परिष्कृत सामान
- कार्य प्रगति

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय तथा व्यय लेखा -व्यय :

अनुसूची -20 स्थापन व्यय:

क. वेतन और मजदूरी

ख. भत्ते और बोनस

ग. भविष्य निधि में अंशदान

घ. अन्य विधि (विनिर्दिष्ट) में अंशदान में अंशदान

ङ. स्टाफ कल्याण व्यय

च. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति के लाभों पर व्यय

छ. अन्य (विनिर्दिष्ट)

प्रतिनियुकृति पर स्टाफ के संबंध में शामिल प्रत्येक शीर्ष के सामने सकल व्यय को दर्शाया जाए।

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के लिए संस्था की सांविधिक बाध्यताओं को स्पष्ट रूप से और मदवार प्रकट किया जाए।-

जुर्माने, अर्थदण्ड आदि जैसी वसूलियों के मामले में; इनकी व्यय शीर्ष से कटौती नहीं की जानी चाहिए बल्कि अनुसूची-18में 'अन्य आय' के अंतर्गत शामिल किया जाए।

टिप्पण–साधारण

<u>पूर्व अवधि की मदें</u>

पूर्व अवधि तथा असाधारण मदें पृथक रूप से दर्शायी जाएं ताकि वर्ष के निवल व्यय पर तत्संबंधी प्रभाव जाना जा सके।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय तथा व्यय लेखा- व्यय:

अनुसूची --21अन्य प्रशासनिक व्यय आदि :

क. खरीद

ख. श्रम और प्रोसेसिंग व्यय

ग. कार्टेज और परिवहन व्यय

घ. बिजली और पावर

ङ. जल प्रभार

च. बीमा

छ. मरम्मत और रखरखाव

ज. उत्पाद शुल्क

झ. किराया, दरें और कर

ञ. यानों की रनिंग और रखरखाव

ट. डाक, टेलिफोन और संचार प्रभार

ठ. मुद्रण और लेखन सामग्री

ड. यात्रा और परिवहन व्यय

ढ. संगोष्ठीय कार्यशालाओं पर व्यय

ण. चंदा व्यय

त. फीस पर व्यय

थ. लेखापरीक्षक पारिश्रमिक

द. आतिथ्य व्यय

ध. व्यावसायिक प्रभार

न. डूबी हुई तथा संदिग्ध ऋण अग्रिम राशि के लिए प्रावधान/

ऩ. अप्राप्य शेष बट्टाखाता-

प. पैकिंग प्रभार

फ. भाड़ा और अग्रेषण व्यय

ब. वितरण व्यय

भ. विज्ञापन और प्रचार

म. अन्य(विनिर्दिष्ट)

प्रत्येक शीर्ष के सामने सकल व्यय को दर्शाया जाना चाहिए।

416

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

किराया उगाहियां, उगाहा गया भाड़ा प्रभार, जुर्माना, अर्थदण्ड, आपूर्तिकर्ता से हुई क्षति आदि जैसी वसूलियों के मामले में, ऐसी वसूली गई राशि की व्यय शीर्षों से कटौती नहीं की जानी चाहिए बल्कि अनुसूची– 16'अन्य आय' में शामिल किया जाना चाहिए।

पूर्व अवधि और असाधारण मदों को पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए ताकि इस वर्ष के लिए निवल व्यय पर तत्संबंधी प्रभाव का पता लगाया जा सके।

शीर्षों की सूची थकाऊ न होकर निदर्शी हो। जहां तक संभव हो सके केवल लेखाओं के इन शीर्षों का तब उपयोग किया जाना चाहिए जब किन्हीं शीर्षों को शामिल करने अथवा हटाने के बाध्यकारी कारण न हों।

विनिर्माण के लिए तथा व्यापार किए गए परिष्कृत सामान के लिए कच्ची सामग्री और स्टोरों के बीच खरीद को पृथक्कृत किया जाए। विनिर्माणकारी संस्थाओं के मामले में,'कच्ची सामग्रियों का उपभोग' और 'स्टोरों' को 'खरीद' का स्थान दिया जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय तथा व्यय लेखा- व्यय:

अनुसूची –22अनुदानों,सहायिकियों आदि पर व्यय :

क. संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान

ख. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकियों

संस्था के सामान्य प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए अप्राप्य आधार पर संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान, रियायतें अथवा अन्य इसी प्रकार की सहायता इन अनुसूची में शामिल की जाए।

प्रत्येक मामले में राशि के साथ संगठनों के नाम, उनके क्रियाकलाप दर्शाए जाएं।

इन अनुदानों आदि को सशर्त और शर्त रहित उनकी उपयोगिता से संबद्ध किया जाए और इनकी गैर वसूली वाली प्रकृति हो, जिसका व्यय के रूप में विनियोग किया जा सके।

अनुसूची 13 में प्रत्येकउपशीर्ष के सामने दर्शायी गई सकल प्राप्तियां इन अनुदानों/रियायतों को स्त्रोत हो सकती है वस्तुत: जिन्हें अप्राप्य आधार पर अन्य संस्थाओं/संगठनों का दिया जाताहै।

प्रत्येक शीर्ष के सामने सकल व्यय दर्शाया जाना चाहिए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय तथा व्यय लेखा- व्यय :

अनुसूची -23 ब्याज :

क. निर्धारित ब्याज पर

ख. अन्य ऋणों बैंक प्रभारों सहित पर

ग. अन्य (विनिर्दिष्ट)

1. प्रतिबद्ध प्रभारों में ब्याज शामिल किया जाएगा।
2. निर्धारित ऋण वे ऋण हैं जो सावधि ऋणों जैसे नियत अवधि के लिए होते हैं।
3. अनुसूची 23 के अनुसार ब्याज के तहत व्यय न्यूनतम प्रकटीकरण अपेक्षा है। संस्था को अनुसूची 4और 5 में शीर्षों के अनुसार ऋणों और उधारी के स्त्रोतों पर आधारित विस्तृत ब्याज दर्शाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

415

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के अनुपालन हेतु टिप्पण और निर्देश

आय तथा व्यय लेखा- व्यय :

अनुसूची –25लेखा संबंधी आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पण:

क. आकस्मिक देयताएं

1. संस्था के सामने ऋण के रूप में प्राप्ति सूचना न दें
2. आंशिक रूप से देय निवेशों के लिए देयताएं
3. बकाया अग्रवर्ती विनिमय संविदाओं के संबंध में देयताएं
4. बकाया क्रेडिट की गारंटियां और पत्र
5. छूट प्राप्त बिल
6. अन्य मद जिनके लिए संस्था सापेक्ष रूप से उत्तरदायी है

आंशिक रूप से देय शेयरों, डिबेंचरों आदि पर देयताएं दर्शाए जाने की अपेक्षा है।

वर्ष के अंत में यथा लागू विनिमय दरों पर बकाया अग्रवर्ती विनिमय संविदाओं की राशि दर्शायी जानी चाहिए।

वर्ष के अंत में संस्था द्वारा अथवा उसकी ओर से दी गई गारंटी की दिशा में देयता तथा बकाया ऋण के संबंध में पत्र प्रकट किए जाने अपेक्षित होते हैं।

वर्ष के अंत में बकाया छूट प्राप्त बिल प्रकट किए जाने की आवश्यकता है।

सांविधिक और अन्य मांगें/दावें यहां शामिल करना विवादित होगा। पुनः छूट प्राप्त बिल, लिखित संविदाओं के तहत प्रतिबद्धताएं तथा अन्य मदें जिनके लिए संस्था सापेक्ष रूप से उत्तरदायित्व है।

ख. लेखाओं पर टिप्पण

1. पूंजीगत लेखा पर प्रतिबद्धताएं उपलब्ध नहीं

2. अन्य टिप्पण

इसे संविदा प्रबंधों के विषय में किया जाएगा जिसके लिए राशि परिसम्पत्ति के अधिग्रहण/निर्माण हेतु देय होगी। धनराशि, अग्रिम की निवल राशि दर्शायी जानी अपेक्षित है।

प्ररूप -I (ग)

प्राप्तियां और संदायों का विवरण

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण के प्ररूप

....समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और संदाय

(राशि रूपए में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	संदाय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I अथशेष क. नकद राशि ख. जमा राशि i) करंट खाते में ii) जमा खाते में iii) बचत खाते में II.प्राप्त अनुदान क. भारत सरकार से ख. राज्य सरकार से ग. अन्य स्त्रोतों (ब्यौरा) से (विशेषकर पूंजीगत और राजस्व का अनुदान पृथक रूप में दर्शाया जाए III.निवेशों संबंधी आय- क. निर्धारित/वृत्तिका निधि से ख. स्वंय की निधि (अन्य निवेश) से			1व्यय क. स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के तदनुरूप) ख. प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप) II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरूद्ध किया या भुगतान (निधि अथवा परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दर्शाया जाएं) III किया गया निवेश तथा जमा राशि क. निर्धारित/वृत्ति निधि से ख. स्वंय की निधि (अन्य निवेश) से		

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	संदाय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
IV <u>प्राप्त ब्याज</u>			IV <u>नियत परिसंपत्तियां और पूंजीगत कार्य की प्रगति पर व्यय</u>		
क. बैंक में जमा राशि पर			क. नियत परिसंपत्तियों की खरीद		
ख. ऋणों, अगिरम राशि आदि			ख. पूंजीगत कार्य की प्रगतिपर व्यय		
V<u>अन्य</u> <u>आय (विनिर्दिष्ट)</u>			V<u>अधिशेष धन/ऋण को लौटाना</u>		
			क. भारत सरकार को		
			ख. राज्य सरकार को		
			ग. निधि को अन्य प्रदाता को		
VI <u>उधार ली गई</u> <u>राशि</u>			VI <u>वित्त प्रभार (ब्याज)</u>		
VII अन्य कोई प्राप्ति (ब्यौरा दें)			VII <u>अन्य</u> भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			VIII अंतशेष		
			क. जमा राशि		
			i) नकद राशि में		
			ii) जमा राशि में		
			iii) बचत राशिमें		
कुल			कुल		

प्ररूप -IV

बजट का प्ररूप

[नियम 6 (1) देखें]

प्राक्कलित प्राप्तियां प्राक्कलित खर्च

410

प्ररूप -V

अनुपूरक बजट का परूप
[नियम 6 (2) देखें]

आबंटित बजट	जारी राशि	-------------- तक खर्च की गई राशि	--------------------तक बकाया/संभावित खर्च	संशोधित अनुमान	अनुपूरक मांग	टिप्पण/औचित्य

(409)

प्ररूप-VI

वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन का प्ररूप

[नियम 7 (1) देखें]

1. प्रस्तावना
2. प्राधिकरण के सदस्यों का प्रोफाईल
3. विनियमों का विस्तार
4. अधिसूचित/जारी किए गए नए विनियम/प्रक्रियाएं आदि
5. प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश
6. निदेशन
7. कार्य निष्पादन मापदंडों की मॉनिटीरिंग
8. स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श
9. प्राधिकरण द्वारा आंरभ की गई जांच
10. अपील
11. प्रशासन और स्थापना संबंधी मामले
12. बजट और लेखा
13. विनियामक एडवोकेसी और प्रयोक्ताओं के हितों की संरक्षा
14. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
15. क्षमता निर्माण
16. कोई अन्य मामला जो प्राधिकरण के विचार से दर्शाना जरूरी लगता हो।